



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कर्मांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क.....280...../अका./शोध/रसायन/2018

बिलासपुर, दिनांक 24/08/2018

प्रति,

(पंजीकृत डाक द्वारा)

Smita Rani Bhardiya,
Sai Colony Utai,
Durg (C.G.)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानानुसार पीएचडी उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 10-04-2018 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) रसायन शास्त्र अध्ययनशाला – भौतिकीय विज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
Strategic applications of some tailor-made carbon based functional nanomaterials in electro-/chemical catalysis		Dr. Manorama, Asstt. Professor, Deptt. of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयन कर्मांक	पंजीयन तिथि	नामांकन कर्मांक
Deptt. of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)	165083601	10-04-2018	GGV/16/7220

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। उक्त अध्यादेश/विनियम को कंडिका-10 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व आठ प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः..1

2. 4 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् शोध समयवृद्धि (एक वर्ष के लिये) शुल्क रूपये 300/- विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा ।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा ।
4. शोध पंजीयन तिथि से प्रति सेमेस्टर (छ:माही) छात्र को शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन, उपस्थिति का लेखा के साथ शोध निर्देशक से अनुशंसित सेमेस्टर समाप्त होने के सात दिवस के भीतर शोध ग्रंथ जमा करने तक जमा करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर का प्रगति प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर ही शोधार्थी के पंजीयन का नवीनीकरण होगा।
5. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छ:माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव (अका.)

कमांक 281 /अका0/शोध/रसायन/2018

बिलासपुर, दिनांक 24/08/2018

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक- Dr. Dr. Manorama, Asstt. Professor, Deptt. of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छ:माही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र- Deptt. of Chemistry, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस एण्ड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव (अका.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)